कोविड-19

सहयोगी नागरिक समाज संगठनों के लिए टूलकिट

आपातकालीन शक्तियां और संकटकालीन कदम: मानवाधिकारों के लिए ख़तरे

RIGHTS & SECURITY INTERNATIONAL

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएँ

इस टूलकिट को दुनिया भर के निम्नलिखित नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी के तहत तैयार किया गया था और अब प्रकाशित किया जा रहा है

Awaj Foundation
Bangladesh
http://awajfoundation.org

Cristosal
Central America
https://www.cristosal.org

Human Rights in China
Peoples Republic of China
https://www.hrichina.org/en

People's Watch
India
https://www.facebook.com/pg/peopleswatch.org/about/

Equidem Nepal
Nepal
https://www.equidemresearch.org

MENA Rights
Middle East and North Africa
http://www.menarights.org/en

Migrant Care
Indonesia
http://www.migrantcare.net

EIHR
Ethiopian Initiative for Human Rights
Ethiopia
https://www.facebook.com/eihrethiopia/?ref=py_c

KontraS
Indonesia
https://kontras.org/en/

EHRCO
Ethiopian Human Rights Council
Ethiopia
https://www.ecoi.net/en/source/11110.html

AJAR
Indonesia, Timor-Leste, Thailand, the Philippines, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka and the Solomon Islands
https://asia-ajar.org

Pusaka
Indonesia

Initiative for International Dialogue
Philippines, Myanmar, Mindanoa, Thailand, West Papua and Timor Leste
https://iidnet.org

Lokataru Foundation
Indonesia
https://lokataru.id

FENAPD
Ethiopia
http://www.fenapd.org/site/

YLBHI
Indonesia
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/foundation-indonesian-legal-aid-institute

Sajid Iqbal Foundation
Indian Administered Jammu and Kashmir
https://www.facebook.com/groups/thesajidiqbalfoundation/

Soros Foundation Kazakhstan
Kazakhstan
https://www.soros.kz/en/

IVIDE
Ethiopia

CEHRO
Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations
Ethiopia
https://www.facebook.com/cehros/

विषय सूची

1	भूमिका	4
2	आपातकालीन कदमों को लागू किये जाने की प्रक्रिया से पैदा होने वाले मानवाधिकार ख़तरे	7
3	आपातकालीन कदमों से पैदा होने वाले मानवाधिकार ख़तरा	11
4	कमजोर या हाशिये पर पड़े समूहों पर आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों का प्रभाव	18
5	संदर्भ-विशिष्ट तरीकों का महत्व	21
6	सुझाये गए वकालत के लक्ष्य	22
	फुटनोट	26
	अनुबंध	28

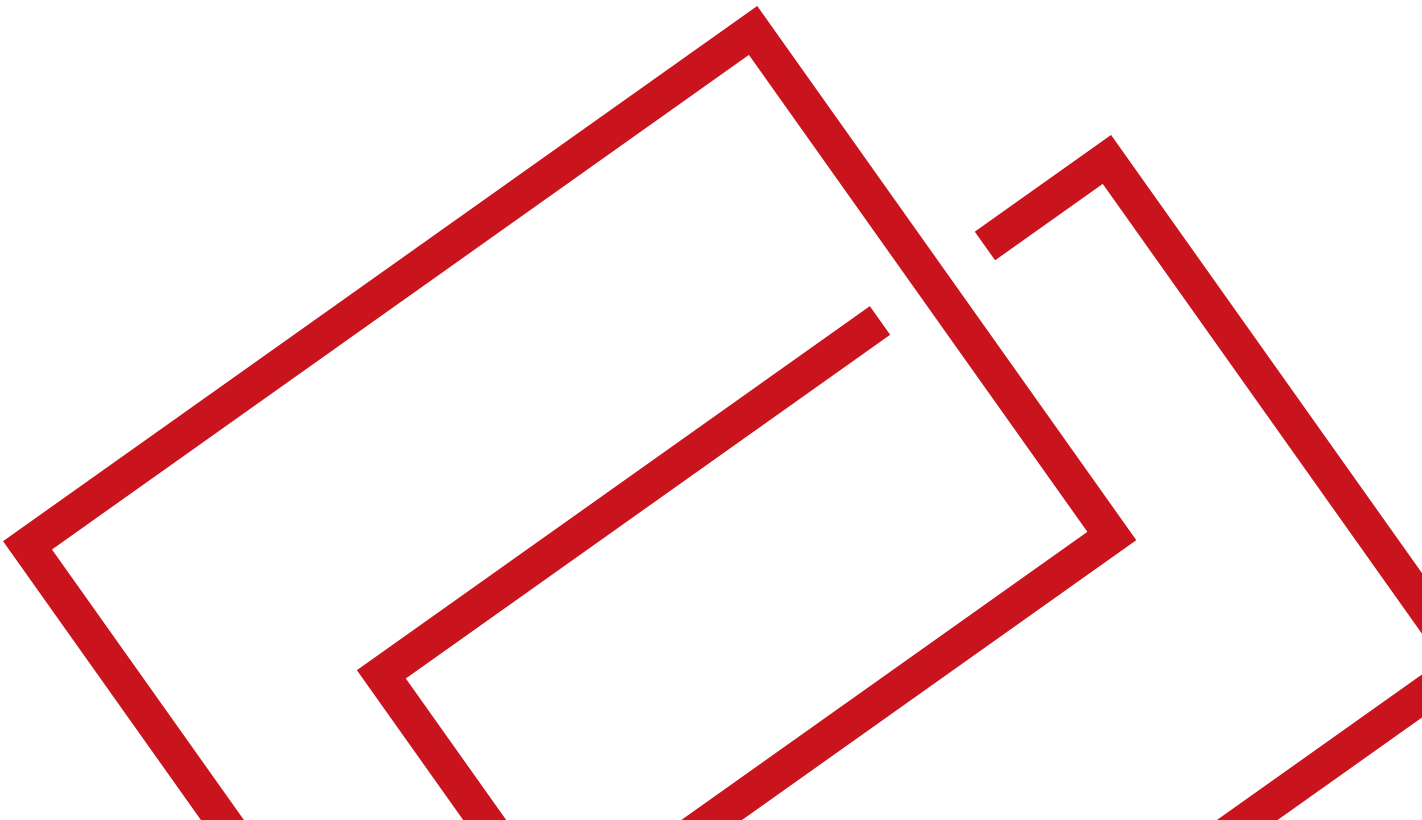

1 भूमिका

1.1. इस कोविड-19 टूलकिट का मकसद आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों का पूर्वानुमान लगाने में; अधिकारों के नज़रिये से इन क़ानूनों और नीतियों के मूल आशयों और उनके पारित किये जाने की प्रक्रिया का विश्लेषण करने में; और आपातकालीन कदमों, खासकर हाशिए और कमजोर समूहों पर ज़्यादा असर डालने वाले कदमों की पहचान करने और उनके जवाब में कार्रवाई करने में नागरिक समाज संगठनों के लिए एक मार्गदर्शिका है।

1.2. इस टूलकिट को महामारी से निपटने के लिए उठाये गए आपातकालीन कदमों से पैदा होने वाले तीन प्रकार के ख़तरों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है:

- आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया से पैदा होने वाले ख़तरे;
- आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों के मूल तत्वों से उत्पन्न होने वाले ख़तरे;
- क़ानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से खास कमजोर समुदायों के लिए पैदा होने वाले ख़तरे।

1.3. इन तीन प्रकार के ख़तरों को संबोधित करने के लिए, टूलकिट को छह खंडों में बाँटा गया है। हर खंड में नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के लिए प्रस्तावित सवालों की एक सूची के साथ-साथ उनका विवरण भी दिया गया है। (सवालों की पूरी सूची, बिना विवरण के संलग्न है)। यह छह खंड हैं:

1. भूमिका
2. आपातकालीन कदमों को लागू किये जाने की प्रक्रिया से पैदा होने वाले मानवाधिकार ख़तरे
3. आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों से पैदा होने वाले मानवाधिकार ख़तरे
4. कमजोर या हाशिये पर पड़े समुदायों पर आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों का असर
5. संदर्भ-अनुरूप कदमों का महत्व
6. वकालत-सम्बन्धी सिफ़ारिशें

1.4. इस टूलकिट में दी गयी सामग्री, महामारी से निपटने के लिए सरकारों द्वारा उठाये गए मौजूदा कदमों के हमारे और हमारे सहयोगी संगठनों द्वारा किये गए विश्लेषण और आतंकवाद विरोधी क़ानूनों और नीतियों के संदर्भ में आपातकालीन और असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल का विश्लेषण करने और उनके जवाब में कार्रवाई करने के राइट्स एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल के 30 सालों के अनुभव के आधार पर तैयार की गई है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान हमारा अनुभव हमें बताता है कि नागरिक समाज यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि:

- आपातकालीन कदम क़ानून पर आधारित हों, क़ानूनन तरीके से पारित किये जाएँ और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हों, और जो नहीं हों उन्हें चुनौती दी जाए;
- आपातकालीन कानून और नीतियाँ समयबद्ध हों, जितना संभव हो उतनी सीमित हों, और केवल तब तक लागू की जाएँ जब तक पूर्णतः ज़रूरी हों, और जो नहीं हों उन्हें चुनौती दी जाए;
- नागरिक समाज और व्यापक लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों की उचित निगरानी और समीक्षा होती रहे, और ऐसा नहीं होने पर उन्हें चुनौती दी जाए;
- आपातकालीन कानून और नीतियाँ आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अत्यंत ज़रूरी हों (वर्तमान हालातों में, वैध सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ज़रूरी हों) और उन ज़रूरतों के अनुपात में हों, और जो नहीं हों उन्हें चुनौती दी जाए;
- आपातकालीन कदम अत्याचार-पूर्ण न हों और/या उनका भेदभाव-पूर्ण असर न पड़े, खासकर कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों पर, और प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर अत्याचार-पूर्ण, अनुपातहीन और/या भेदभाव-पूर्ण कदमों को चुनौती दी जाए; और
- आपातकाल के संदर्भ में किए गए मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेही तय हो।

1.5. मौजूदा महामारी के संदर्भ में, कुछ सरकारें अच्छे इरादों से आपातकालीन कदम उठा रही हैं, जिनके लोगों के अधिकारों पर अप्रत्याशित या अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जबकि अन्य सरकारें महामारी को हथियार बनाकर, आपातकालीन कदमों का कुछ खास समूहों को जानबूझकर निशाना बनाने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। दोनों ही सूरतों में, यह देखा जा सकता है कि यह आपातकालीन कदम, कमजोर और हाशिए के समुदायों को ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं और कुछ मामलों में ऐसे समुदायों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक समूहों, प्रवासी मज़दूरों, कैदियों, शरणार्थियों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (विशेष रूप से बेघर लोगों) द्वारा सरकारी करवाई के कारण दूसरों से ज़्यादा पीड़ा झेलने के अनगिनत और बढ़ते उदाहरण सामने आ रहे हैं।

1.6. साथ ही साथ सामाजिक दूरी, राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी जैसे नागरिक समाज की क्षमता को सीमित करने वाले कदमों के कारण नागरिक और लोकतांत्रिक आयामों को भी सिकुड़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ देशों में सरकारों ने राजनीतिक विरोध और चुनावों जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ साथ अदालतों और अन्य न्यायिक संस्थानों को या तो पूरी तरह से बंद कर दिया है या उन पर सीमाएँ बाँध दी हैं। इन कदम के कारण, नागरिक समाज समूहों की संगठन और जवाबी कार्यवाही कर पाने की क्षमता प्रभावित हुई है और जिसने इन आपातकालीन कदमों की जांच और निगरानी को सीमित किया है।

1.7. राइट्स एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल और हमारे सहयोगी नागरिक समाज संगठन साथ में मिलकर, विभिन्न क्षेत्रों और देशों में कोविड-19 से निपटने के लिए उठाये जाने वाले कदमों से उभर के आ रहे पैटर्न पर नज़र रख रहे हैं। ऐसा करने में, हम आतंकवाद के संदर्भ में आपातकालीन स्थितियों के हमारे अनुभव का इस्तेमाल करते रहेंगे और नागरिक समाज व उनके सहयोगी जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका बेहतर ढंग से जवाब देने में हम उनकी सहायता करते रहेंगे। ऐसा कर पाने के लिए, कृपया हमें **covid19@rightsandsecurity.org**
पर इनके बारे में अपडेट देते रहें:

- आपके क्षेत्र और/या देश के आपातकालीन कानून या नीति और इन कदमों की अवधि;
- क्या संसदों, न्यायालयों और अन्य निकायों द्वारा इन कदमों पर कोई प्रभावी निगरानी रखी जा रही है और इनके लिए जवाबदेही तय की जा रही है, और इन कदमों की जांच करने और/या चुनौती देने में आपके सामने आने वाली चुनौतियाँ;
- इन आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों का असर, ख़ासकर उन ख़ास समूहों पर जिन्हें इनके ज़रिये निशाना बनाया जा रहा हो या जिन पर इनका दूसरों से ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो। अगर मुमकिन हो तो कुछ चुनिंदा मामलों का ब्यौरा भेजें;
- इन आपातकालीन कदमों के चलते आपके नागरिक समाज संगठन द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ;
- किसी भी क्षेत्रीय या घरेलू निकायों (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों, लोकपाल आदि जैसे निगरानी के लिए नियुक्त निकाय सहित) के साथ-साथ अदालतों या अन्य प्रशासनिक निकायों द्वारा दी गयी आपातकालीन कदमों से जुड़ी कोई भी टिप्पणी या निर्णय या आदेश।

राइट्स एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल (पहले राइट्स वॉच (यूके)) न्यायसंगत और प्रभावी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक जिम्मेदार और अधिकार आधारित नज़रिये को बढ़ावा देते हैं, और पिछले 30 वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं।

हमारे बारे में अधिक जानने के लिए कृपया
www.rwuk.org या www.rightsandsecurity.org पर जाएँ
और ट्विटर पर @rightssecurity हमारे काम को फॉलो करें।

2 आपातकालीन कदमों को लागू किये जाने की प्रक्रिया से पैदा होने वाले मानवाधिकार ख़तरे

2.1. प्रश्न: आपातकालीन कानूनी प्रक्रियाएँ

Q1: क्या आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? क्या आपातकाल-संबंधित क़ानूनों, करवाई या नीतियों को प्रकाशित किया गया है और क्या वे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं?

Q2: राज्य के आपातकाल घोषित करने का कानूनी आधार क्या है? (संवैधानिक, वैधानिक, कार्यकारी निर्णय)

Q3: क्या आपातकाल की स्थिति को लागू करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या यह प्रक्रिया सार्वजनिक थी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

Q4: यदि आपातकाल घोषित करने के लिए कोई तय प्रक्रिया है, तो क्या इसका उपयोग किया गया है? या सिर्फ आपातकाल का नाम इस्तेमाल करते हुए, सामान्य क़ानूनों का इस्तेमाल किया गया है?

Q5: यदि मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं (विशेष रूप से संवैधानिक) के बजाय सामान्य क़ानूनों का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्या सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के बचाव में कोई कारण दिया गया है?

Q6: यदि सामान्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या उनके ज़रिये अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध वैध हैं?[1]

Q7: यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, तो क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि के तहत अपने दायित्वों से, जिस हद तक मुमकिन हो, छूट मांगी है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

विवरण: आपातकालीन कानूनी प्रक्रियाएँ

2.2. सबसे पहले, अधिकांश देशों में, आपातकालीन शक्तियों को हासिल करने या सक्रिय करने का एक ख़ास तरीका मौजूद है। आमतौर पर संवैधानिक, कार्यकारी या वैधानिक व्यवस्था में इसके लिए प्रावधान दिया जाता है, और इनके ज़रिये राज्य द्वारा, उदाहरण के तौर पर "आपातकाल" घोषित होने पर कुछ ख़ास राजकीय अधिकारों को हासिल किया जा सकता है। अक्सर इन आपातकालीन अधिकारों को तात्कालिक प्रक्रियाओं के ज़रिये लागू किया जाता है। इसके दौरान क़ानूनों को पारित करने की सामान्य प्रक्रिया की अवहेलना या उसमें काँट-छाँट की जा सकती है (जैसे क़ानूनों को तेजी से, कम जाँच-परख के बिना पारित किया जाना)। हालांकि ये आपातकालीन प्रक्रियाएँ सरकारों को असाधारण घटनाओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए दी गयी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल केवल तब किया जा सकता है जब हालत, आपात स्थिति के स्तर तक पहुँच जाएँ और तब सरकार के लिए यह दिखाना ज़रूरी होता है कि आपातकालीन क़ानून और नीतियाँ उनके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उचित और जायज़ हैं। आपातकालीन स्थिति में यह साबित करने की ज़िम्मेदारी से सरकार को छूट न मिले, यह सुनिश्चित करने में नागरिक समाज संगठनों की ज़रूरी भूमिका है।

2.3. दूसरा, हो सकता है कि राज्यों के पास ऐसे संवैधानिक या कानूनी प्रावधान मौजूद हों जिनके ज़रिये आपातकाल घोषित किये जाने की प्रक्रिया तय की गयी हो, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाए। कभी-कभी, आपातकाल को कानूनी तौर पर स्वीकृति नहीं दी जाती, पर फिर भी साधारण कानूनी प्रक्रियाओं के ज़रिये असाधारण कानूनी कदम उठाए जाते हैं (कभी-कभी इसे "वास्तविक" आपातकाल - कानूनी आपातकाल घोषित नहीं किये जाने के बावजूद वास्तव में आपातकाल जैसी स्थिति- कहा जाता है)।[2] जैसाकि आतंकवाद का सामना करते हुए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण और संवर्धन के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक ने रेखांकित किया है, अघोषित पर वास्तविक आपातकाल के दौरान पारित किये गए कानून यह बड़ा ख़तरा पैदा करते हैं कि आपातकालीन कदम कानूनी प्रणाली का धीरे धीरे हिस्सा बनकर अपने जीवनकाल के बाद भी स्थायी रहेंगे।

2.4. तीसरा, सिर्फ घरेलू कानून ही तय नहीं करते कि सरकारें आपात स्थितियों में क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यहाँ महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार संधियाँ में, कुछ अधिकारों के लिए, राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान "अल्पीकरण" का प्रावधान दिया गया है, "अल्पीकरण" एक प्रक्रिया है जहां राज्य घोषित करते हैं कि आपातकाल या बहुत गंभीर खतरे के कारण, वह अपने कुछ मानवाधिकारों के दायित्वों को बरकरार नहीं रख सकते है। लेकिन ऐसा करने के लिए, घरेलू कानून की तरह ही, कुछ ख़ास कदम हैं जो राज्यों को उठाने होते हैं - जिसमें सावधानी से समझाया जाना कि राज्य कौन से दायित्वों को बरकरार नहीं रखने वाला हैं, क्यों, और कितने समय तक, शामिल है।[3] अगर राज्य घरेलू स्तर पर आपातकाल की घोषणा करें, लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने मानवाधिकारों के दायित्वों से पीछे हटने के लिए "अल्पीकरण" सम्बन्धी कदम न उठाये, तो यह चिंता का विषय है।[4] "अल्पीकरण" निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय जांच के नज़रिये से एक ज़रूरी प्रक्रिया है, जिसके ज़रिये राज्य को "अल्पीकरण" की अनिवार्यता के बारे में स्पष्ट और निर्दिष्ट कारण बताने की ज़रुरत होती है और नागरिक समाज संगठनों (और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधि दायित्वों के अनु-पालन की निगरानी के लिए गठित निकायों और संधि के अन्य राज्य हस्ताक्षरकर्ताओं) को उन कारणों की छानबीन करने का मौका देता है।[5] यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कुछ अधिकारों के संरक्षण से आपातकाल के समय से भी पीछे नहीं हटा जा सकता, जैसे कि जीवन से वंचित करने पर प्रतिबंध या क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार पर प्रतिबंध। इन अधिकारों के संरक्षण को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी आपातकाल क्यों न हो।

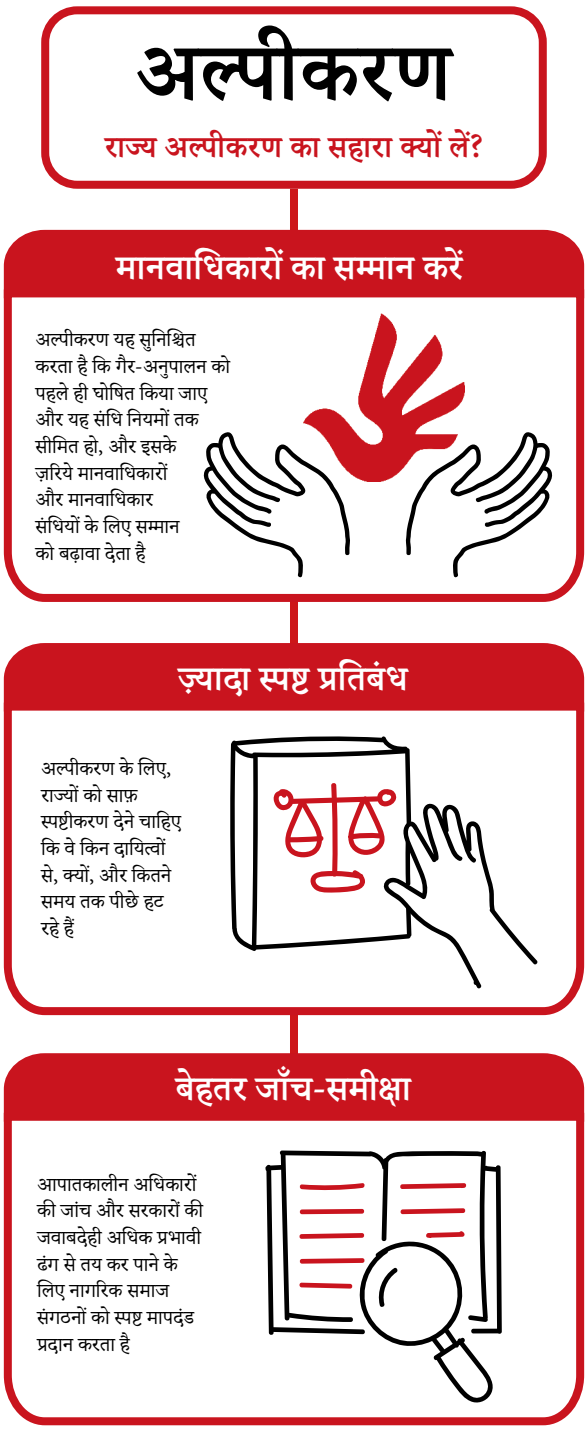

2.5. प्रश्न: आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों की निरंतर निगरानी

Q8: क्या आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों को प्रकाशित किया गया है? क्या बनाये गए आपातकालीन क़ानूनों या अधिकारों पर लगातार निगरानी रखने के कोई तरीके तय किये गए हैं? क्या वे काफी हैं? क्या उनके ज़रिये नागरिक समाज और लोकतांत्रिक समीक्षा संभव हैं?

Q9: यदि निगरानी रखने का कोई तरीका नहीं हैं, तो उन्हें क्यों मुहैया नहीं कराया गया है? क्या दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं (ऑनलाइन माध्यम से)?

Q10: क्या इन क़ानूनों की कोई समय-सीमा है? क्या कानून में ही कोई प्रावधान है, जो इसे एक निश्चित तारीख के बाद स्वतः निरस्त करता हो?

Q11: क्या आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? क्या अदालतों तक निरंतर पहुंच पाना मुमकिन है?

Q12: क्या निकट भविष्य में उचित समय-सीमा के अंदर इन कदमों की अंतरिम समीक्षा या संसदीय निरीक्षण का कोई प्रावधान है? क्या आपातकाल खत्म होने पर, सहमति से, कानून को हटाने का प्रावधान है?

विवरण: आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों की निरंतर निगरानी

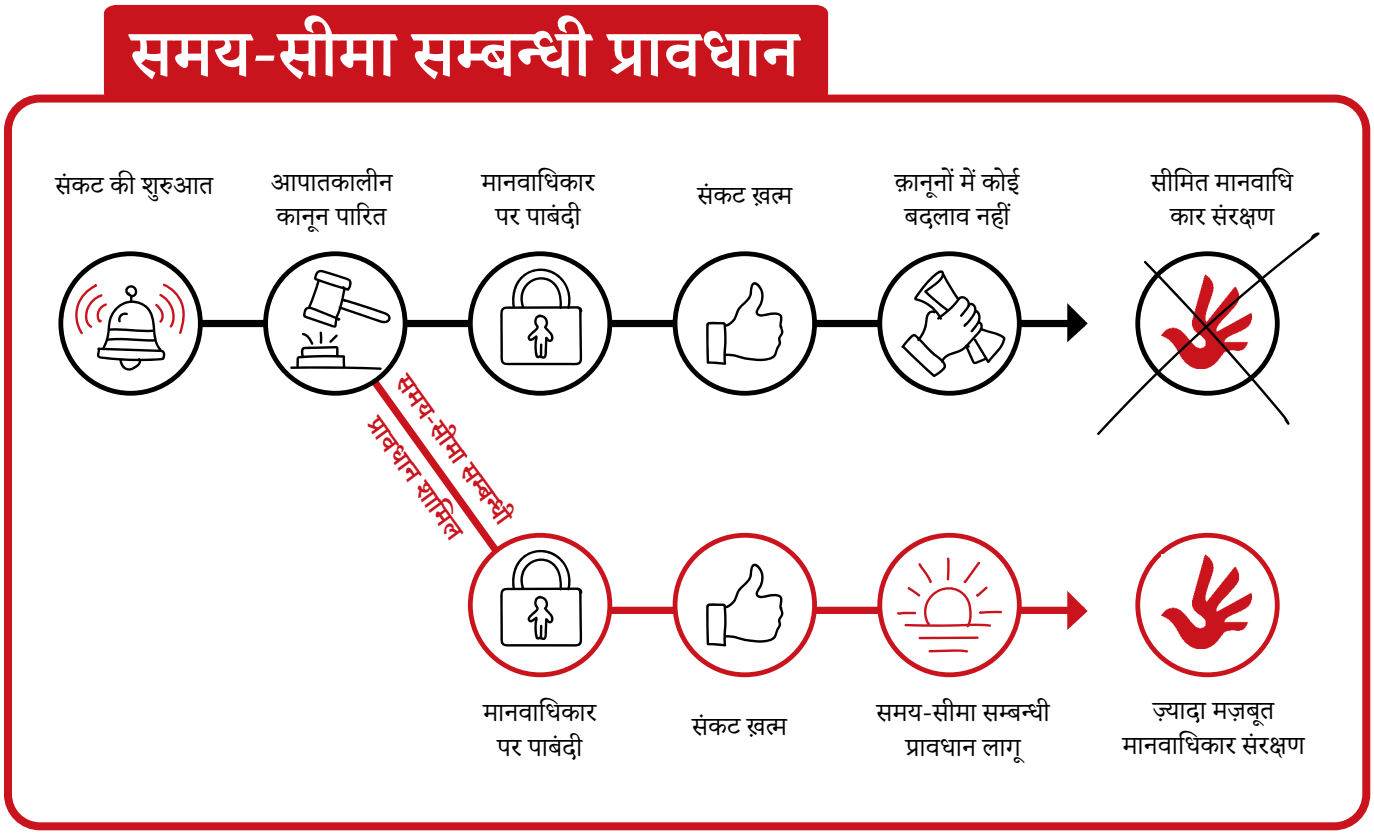

2.6. आपातकालीन क़ानूनों को अक्सर अनियमित प्रक्रियाओं के ज़रिये और सीमित बहस के साथ पारित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि, यह कानून और नीतियाँ स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः जरूरी हैं या नहीं और मौजूदा खतरे और सबूतों के अनुपात में है या नहीं जैसे विषयों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जाता। जहाँ इस तरह की समीक्षा मुमकिन न भी हो, उन मामलों में भी जब भी मुमकिन हो इस विश्लेषण का किया जाना ज़रूरी है, खासकर इसलिए ताकि अनावश्यक, अनुपातहीन और अत्याचार-पूर्ण कार्रवाइयों का रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके। कुछ अंतराल के बाद भी किये जाने पर, इस विश्लेषण के ज़रिये यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इन कदमों के समर्थन में दिए गए कारणों और सबूतों को जल्द से जल्द परखा जा सके और उन्हें चुनौती दी जा सके। इस तरह का निरीक्षण, विभिन्न निकायों, जैसे संसद, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं, नागरिक समाज संगठन या अन्य स्वतंत्र संस्थाओं जैसे कि लोकपाल, द्वारा किया जा सकता है, और इसमें नागरिक समाज संगठनों की भूमिका होगी - यह जाँचना कि यह निकाय अपने कर्तव्यों का यथासंभव पालन कर रहे हों, और इनकी गतिविधियों पर गैर-ज़रूरी बंदिशें न लगायी जाएं।

2.7. दूसरा, हमारा अनुभव रहा है कि आपातकालीन कानून शुरूआती आपातकालीन संकट के बाद भी लंबे समय तक कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बने रहते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि सरकारें इन प्रावधानों के असाधारण और समय-सीमित होने का सम्मान करें। आपातकालीन क़ानूनों में ही प्रक्रियात्मक संरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल होनी चाहिए जिनके तहत एक तय अवधि के बाद, आपातकालीन कदम अपने आप समाप्त हो जाएँ, या कम से कम उनकी समीक्षा के लिए कुछ प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी कदम है ताकि आपातकालीन सत्ता का कानूनी प्रणाली में "सामान्य-करण" न हो और असाधारण राज्य अधिकारों को जारी रखने के लिए किसी भी औचित्य की सावधानीपूर्वक जांच की जाती रहे।.[6]

3 आपातकालीन कदमों से पैदा होने वाले मानवाधिकार ख़तरा

3.1. प्रश्न: मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कुछ आम कदम

व्यक्तियों को जबरन बद्ध करके रखने का अधिकार

Q13: यह अधिकार क्यों दिया गया है? इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, और किस सबूत के आधार पर?

Q14: क्या इसके सबूत हैं कि यह कदम क़ानूनन है, और परिस्थितियों को देखते हुए ज़रूरी है और उनके अनुपात में है?

Q15: क्या इस कदम को लागू करने के लिए इस्तेमाल की जा रही प्रक्रिया आवश्यक और अनुपात में है और क्या इसे गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है?

Q16: उपरोक्त से संबंधित, क्या इस अधिकार का उपयोग वैध रूप से किया जा रहा है, या इसके अत्यधिक और/या अत्याचारपूर्ण रूप से इस्तेमाल किये जाने का कोई सबूत है?

Q17: यह अधिकार किसके हाथों में है? इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा सकता है?

Q18: कब तक बद्ध करके रखने की अनुमति है? बद्ध करके रखे जाने के औचित्य (आगे संक्रमण के फैलने को रोकना) को ध्यान में रखते हुए,यह अवधि उचित है?

Q19: अगर जबरन बद्ध किये जाने या संगरोध को लागू किया जाता है, तो उनपर निर्भर और साथ में रहने वालों की देखभाल कैसे की जायेगी? जिन लोगों को जबरन बंदी बनाया जा रहा है, उनके बच्चों का क्या?

Q20: क्या इस अधिकार और इसके कार्यान्वयन को चुनौती दी जा सकती है, और कब? क्या न्यायिक और अन्य तरीके उपलब्ध हैं?

आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का अधिकार

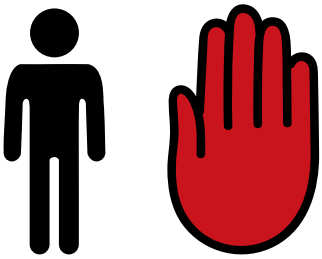

Q21: आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंध कब तक लगे रहेंगे? क्या ऐसे कोई सबूत हैं जो इन प्रतिबंधों का समर्थन करते हों?

Q22: इन कदमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कितने व्यापक हैं? क्या विकल्पों पर विचार किया गया है? क्या उचित समय पर इन प्रतिबंध में संशोधन का प्रावधान है?

Q23: यदि राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की गयी है, तो इन कदमों को लागू करने का अधिकार किसके पास है?

Q24: इस तालाबंदी को लागू करने के लिए उन्हें किस स्तर के अधिकार सौंपे गए हैं? उन अधिकारों पर क्या सीमाएँ और प्रतिबंध लगाए गए हैं?

Q25: क्या इन अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है?

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का अधिकार

Q26: जहां सभाओं पर रोक लगायी गयी हो, क्या वहां इसे न्यायपरक और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है? क्या ख़ास सभाओं को निशाना बनाये जाने का कोई सबूत है?

Q27: क्या इन नियमों के ज़रिये गलत जानकारी और मनगढ़ंत खबरों या अफ़वाहों के प्रसार पर रोक लगायी गयी है? इन्हें किस तरह लागू किया जाता है? किन मानकों के अनुसार यह तय किया जाता है कि कोई सूचना या खबर इन श्रेणियों में आती है, और क्या वे मानक सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं? क्या इन क़ानूनों के लागू किये जाने के उदाहरण सार्वजनिक किए गए हैं और क्या उनकी जाँच की जा सकती है?

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार

Q28: जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थगित किया गया है, उसके लिए क्या औचित्य और सबूत दिए गए हैं? क्या उचित समय-अवधि के बाद कोई दूसरी तारीख दी गई है? क्या उचित विकल्पों पर विचार किया गया है?

Q29: क्या संसद को निलंबित किया गया है, या उसकी बैठक को होने से रोका जा रहा है? कब तक और किन शर्तों के तहत?

निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले अधिकार

Q30: क्या महामारी के जवाब में अपनाये गये निगरानी और जानकारी संग्रह करने के तरीके/अधिकार कानूनी तौर पर जारी किये गए हैं और क्या वे ज़रूरी और उचित अनुपात में हैं? क्या वैध और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के आधार पर उन्हें मान्य ठहराया गया है और क्या वे उन ज़रूरतों के अनुपात में हैं?

Q31: क्या निगरानी और जानकारी संग्रह के तरीके समयबद्ध हैं?

Q32: व्यक्तिगत जानकारी या महामारी के संदर्भ में इकट्ठी की गयी सूचना के एकत्रीकरण, भण्डारण और साझा किये जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के कोई स्पष्ट तरीके हैं?

Q33: क्या सरकार अपनाये गए या भविष्य में अपनाये जाने वाले अन्य निगरानी और जानकारी संग्रह करने के तरीकों/अधिकारों के बारे में पारदर्शी रही है?

Q34: क्या निगरानी और जानकारी संग्रह करने के तरीकों/अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ कोविड-19 से निपटने के लिए ही किया जाता है? क्या वे जितना मुमकिन हो उतने सीमित हैं?

Q35: क्या निगरानी के अधिकार के इस्तेमाल और व्यक्तिगत जानकारी के एकत्रीकरण, उपयोग और भण्डारण पर निगरानी रखने की कोई व्यवस्था है?

Q36: क्या लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था है?

Q37: क्या निगरानी रखने की डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से हाशिए के, कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है?

Q38: क्या इस जानकारी को सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है? क्या ये समझौते क़ानून पर आधारित हैं, क्या वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, क्या वे समयबद्ध हैं और क्या इनपर नज़र रखे जाने का कोई तरीका है?

विवरण: आपातकालीन कदमों से पैदा होने वाले मानवाधिकार ख़तरे

3.2. महामारी से निपटने के लिए सरकारों द्वारा उठाये गए शुरूआती कदम तेज़ी से लिए गए और उनके ज़रिये लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि, इन हालातों में कुछ मानवाधिकार-प्रतिबंधक कदम ज़रूरी और परिस्थितियों के अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कदम ऐसे ही होंगे। जैसा कि हमने देखा है, सरकारों ने कुछ अधिकारों को उन तरीकों के ज़रिये प्रतिबंधित किया है जो न सिर्फ गैर ज़रूरी हैं बल्कि कानूनी तौर पर अनुचित भी हैं।

3.3. कोविड-19 के संदर्भ में जारी किए गए सभी आपातकालीन कदम, अनिवार्य रूप से उनके उद्देश्यों (वर्तमान संदर्भ में, वायरस के फैलने को रोकने और महामारी के स्वास्थ्य-आधारित प्रभाव से निपटने जैसे साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों) को हासिल करने के लिए ज़रूरी और उनके अनुपात में होने चाहिए। लेकिन, ऐसे कानून जो सतह पर आवश्यक और अनुपात में दिखाई देते हैं, वह भी, अधिकारों को कम सीमित करने वाले अन्य विकल्पों से ज़्यादा प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं। कुछ मामलों में हो सकता है कि नए आपातकालीन कानून ज़रूरी न हों, क्योंकि ऐसे पुराने कानून और नीतियाँ पहले से ही मौजूद हों जिनका इस्तेमाल आपातकाल से निपटने के लिए किया जा सकता है। इन कदमों की जाँच और समीक्षा करने में नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कदम मौजूदा हालातों में ज़रूरी और उनके अनुपात में हों, और यह कदम आपातकाल से निपटने में सक्षम सभी संभावित कदमों में से सबसे कम प्रतिबंधात्मक हों और पहले से ही मौजूद ऐसा कोई भी सामान्य कानून नहीं हो जिसके ज़रिये आपात स्थिति से निपटा जा सके।

3.4. नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के लिए एक और मुख्य मुद्दा यह है कि, क्या क़ानूनों और नीतियों को इतने अस्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, कि वे अधिकारियों को इतने व्यापक इख़्तियार देते हों कि इनका दुरुपयोग किया जा सके। उदाहरण के तौर पर, कानून के उद्देश्य के वैध होने के बावजूद, कर्फ्यू लागू करने के लिए अत्यधिक बल का उपयोग किया जा सकता है। नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपातकालीन कानून स्पष्ट और सीमित हों और सरकारें और विशेष रूप से, कानून लागू करने वाले अफ़सर, अपने अधिकारों की सीमा के अंदर रहें। इन अधिकारों और इनके लागू किये जाने के तरीकों की लगातार समीक्षा करने और चुनौती देने के तरीके उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

3.5. अंत में, कई देशों ने कोविड-19 के फैलने पर लगातार नज़र रखने के लिए निगरानी और व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह के लिए कई तरीके अपनाये हैं।[7] हालांकि इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी एक ज़रूरी औज़ार है,

लेकिन डिजिटल निगरानी और व्यक्तिगत जानकारी के एकत्रीकरण में बढ़ोत्तरी, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर दाल सकती है।[8] यह ज़रूरी है कि महामारी से निपटने के लिए अपनाये जाने वाले कदम पारदर्शी, वैध, आवश्यक और अनुपात में हों। कोविड-19 से निपटने के लिए अपनाया गया निगरानी और जानकारी संग्रह करने का हर तरीका/अधिकार कानूनबद्ध होना चाहिए और वैध सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक और उनके अनुपात में होना चाहिए। संक्षेप में, आपातकालीन कदमों को पारदर्शी होना चाहिए, ताकि उनके दुरुपयोग की गुंजाईश न हो; उन्हें वैध और साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के आधार पर मान्य ठहराया जाना चाहिए, और उन ज़रूरतों के अनुपात में होना चाहिए।

3.6. यह भी अनिवार्य है कि यह कदम समयबद्ध हों और स्थायी न बन जाएँ। लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और किसी भी तरह के भेदभावपूर्ण असर को कम किया जाना चाहिए, जिसमें जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए वाले समूहों पर होने वाले असर शामिल हों। अक्सर बड़े डेटासेट में ऐसे समुदायों के अनुभवों का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगर सरकारें, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जानकारी साझा करने के समझौते करती हैं तो इससे मानवाधिकारों के लिए ख़तरा पैदा होता है, और इन ख़तरों से निपटने के लिए यह ज़रूरी है कि इन समझौतों को लिखित रूप में सार्वजनिक किया जाए और यह समझौते समयबद्ध हों और इनकी समीक्षा की जाती रहे। निगरानी और जानकारी सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में असरदार निरीक्षण और जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

3.7. प्रश्न: मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कुछ आम कदम

प्रतिबंधात्मक अधिकारों को लागू करना

Q39: जहां राज्यों द्वारा नए अधिकारों का निर्माण किया गया है, क्या उन अधिकारों को स्पष्ट मार्गदर्शन के तहत लागू किया गया है? क्या यह मार्गदर्शन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं?

Q40: क्या इन अधिकारों के दुरुपयोग, या इनकी सीमा के उल्लंघन किये जाने के सबूत हैं? क्या अत्यधिक बल के उपयोग किये जाने, या जिन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए उन्हें निशाना बनाए जाने के सबूत हैं?

Q41: क्या इन अधिकारों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जा रहा है, और उन लोगों की गरिमा का ध्यान रखते हुए, जिनके खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या लोगों को नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए इन अधिकारों के इस्तेमाल किये जाने का कोई सबूत है?

Q42: क़ानूनों का उल्लंघन करने पर किस तरह के दंड तय किये गए हैं? क्या वह आपराधिक हैं या सिविल हैं? कितना जुर्माना तय किया गया है? क्या वह उचित हैं? क्या यह उल्लंघन के अनुपात में हैं?

Q43: जहां उल्लंघन के दंड में जुर्माना लगाया जा रहा है, क्या वह उल्लंघन के संदर्भ को ध्यान में रख कर लगाया जा रहा है? उदाहरण के तौर पर, ऐसे समुदाय जो सामाजिक-आर्थिक कारणों के चलते सामाजिक दूरी बनाने या खुद को अलग-थलग करने में असमर्थ हों, या ऐसे संदर्भों में तालाबंदी किया जाना जहां कई लोग एक साथ रहते हों।

Q44: क्या इन उल्लंघनों के लिए लोगों को पूर्णतः जिम्मेदार माना जाएगा या अपराधों के लिए दोष और/या मानसिक तत्वों को साबित करने की ज़रुरत होगी, ताकि उचित बचाव उपलब्ध हो सकें?

Q45: क्या आपातकालीन कदमों को लागू करने के लिए सैन्य बल की मदद ली जा रही है? और यदि हां, तो वे किन खास जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और क्या इसका नागरिक जीवन पर असर हो रहा है और कैसे?

विवरण: क़ानूनों और नीतियों को लागू करनो

3.8. यह ध्यान में रखते हुए कि आपातकालीन स्थितियाँ तेज़ी से और अप्रत्याशित रूप से बदलती हैं, आपातकालीन अधिकारों को आमतौर पर व्यापक तौर पर व्यक्त किया जाता है ताकि वे सभी तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त हों। लेकिन, व्यापक राज्य अधिकार, उनके दुरुपयोग का गंभीर ख़तरा भी पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, शारीरिक अधिकारों को हो सकता है कि अत्यधिक बल के साथ लागू किया जाए, अधिकारों का इस्तेमाल हो सकता ही कि उन लोगों के खिलाफ किया जाए जिन पर इन्हें लागू नहीं करना चाहिए, या इनका इस्तेमाल भेदभावपूर्ण या अमानवीय तरीके से किया जाए। इसलिए यह ज़रूरी है कि इन अधिकारों को सख़्ती से नियंत्रित किया जाए, सिर्फ उनके प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जाए, उनका इस्तेमाल कैसे और कब किया जाना चाहिए इसके लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिए जाएं,[9] और इन्हें चुनौती दे पाने और समीक्षा की पर्याप्त संभावना हो।

3.9. हाशिए और कमजोर समूहों के खिलाफ इन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस पर निगरानी रखने में नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा हमने आमतौर पर देखा है कि जब आपातकालीन अधिकारों का उपयोग किया जाता है, तो कुछ समुदायों के खिलाफ इन अधिकारों के इस्तेमाल के दौरान शारीरिक उत्पीड़न और अत्याचार, के साथ साथ निगरानी रखे जाने (सुरवेलेन्स) जैसे गैर-शारीरिक इस्तेमाल के ज़रिये सत्ता के अत्यधिक उपयोग और/या क्रूरता की बड़ी गुंजाईश होती है।

3.10. मौजूदा महामारी के दौरान, अत्यधिक बल के इस्तेमाल की ख़बरें लगातार बढ़ रही हैं। यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हथियारों सहित बल का उपयोग इन स्थितियों में भी वैधता, आवश्यकता, अनुपात, एहतियात और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के तहत किया जाना चाहिए।[10] जैसा कि न्यायेतर, विधि संक्षिप्त या मनमानी हत्याओं के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक[11] द्वारा रेखांकित किया गया है, कर्फ्यू, या आवाजाही की स्वतंत्रता पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के उल्लंघन को नीति के तहत बल के अत्यधिक उपयोग के ज़रिये दंडित नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी हालत में, इन उल्लंघनों के लिए घातक बल का उपयोग नहीं होना चाहिए। कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा कैसे और किस तरह से बल का उपयोग किया जा सकता है, इसके सिद्धांत कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज़ों में दिए गए हैं।[12] सबसे आख़िर में, यह साफ़ है कि कोई भी नीति या कार्रवाई जो घातक बल के तत्काल इस्तेमाल की ओर ले जाती हो, वह कभी भी वैध नहीं हो सकती, लेकिन हिंसा में स्वीकार्य उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए भी संभावित कदम होते हैं। आपातकालीन स्थिति में पुलिस को उनके सामान्य अधिकारों के अलावा और ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं लेकिन उन्हें उतने ही बल का इस्तेमाल करना चाहिए जितना अनिवार्य हो, और जितना उनके कर्तव्यों के पालन के लिए ज़रूरी हो।

3.11. जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक ने उल्लेख किया है,[13] पुलिस को उचित और कहीं ज़्यादा एहतियाती कदम उठाने चाहिए, और उन्हें बल के उपयोग के ज़रूरी और अनुपात में होने का संदर्भ-आधारित मूल्यांकन करना चाहिए। और चर्चा, निर्देश, परामर्श और सामुदायिक संपर्क पुलिस की कार्य प्रणाली के सिद्धांत होने चाहिए।

3.12. यह ख़तरा भी है कि क़ानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद (जैसे विपक्षी दलों या नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के दमन) के लिए किया जाए जिसका महामारी से कोई सम्बन्ध न हो। यह वर्तमान संदर्भ में खासतौर पर चिंताजनक है, क्योंकि इन कदमों के इस्तेमाल पर संसद या न्यायपालिका की निगरानी सीमित है, (जैसा कि ऊपर बताया गया है, कई देशों में संसद और न्यायिक संस्थानों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निलंबित कर दिया गया है)।

3.13. अंत में यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई सरकारें आपातकाल के दौरान ढुलाई-सम्बन्धी और अन्य सहायता के लिए सेना का उपयोग कर रही हैं। लेकिन, आतंकवाद-विरोध संबंधी आपात स्थितियों के संदर्भ में हमने नागरिक जीवन में सेना के अतिक्रमण को देखा है; ऐसे हालत कोविड-19 के संदर्भ में भी उभरने लगे हैं।[14]

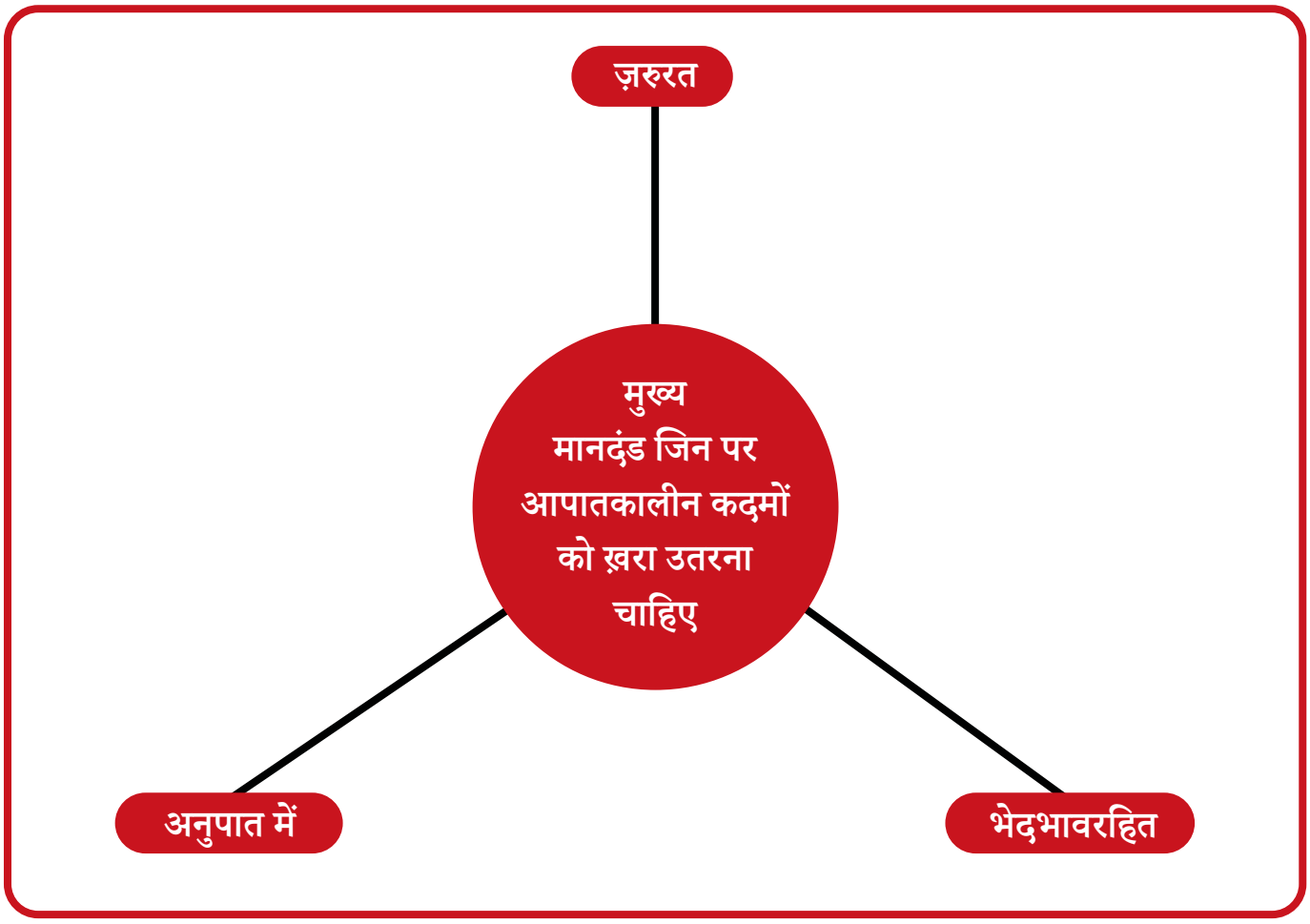

अभी तक दर्ज किये गए आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग के उदाहरण:

जहाँ कोविड-19 से जुड़े अधिकारों का अत्यधिक उपयोग किया गया है या मानव गरिमा को गिराने वाले तरीके से उपयोग किया गया है:

- संगरोध का उल्लंघन करने के लिए अनुपात से कहीं ज़्यादा कड़ा दंड दिया जाना - फिलीपींस में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जानवरों के पिंजरे में रखा जाना[15] और जानलेवा तरीके से गोली मारने की नीति की घोषणा[16] और सिंगापुर में प्रवासी मज़दूरों को निर्वासित किया जाना;[17]
- वायरस की रोकथाम की करवाई के दौरान, दक्षिण अफ्रीका[18] और केन्या[19] में अत्यधिक पुलिस बल का उपयोग;
- केन्या में कर्फ्यू को लागू करने के दौरान पुलिस द्वारा बल के उपयोग के कारण कई लोगों की मौत;[20]
- कीटाणुरहित करने के मकसद से, भारत में सड़क के किनारे खड़े मज़दूरों पर रसायनों का छिड़काव;[21]

- भारत और पराग्वे दोनों में कर्फ्यू को लागू करने के लिए अपमान जनक तरीकों का इस्तेमाल;[22]
- दक्षिण अफ्रीका में तालाबंदी का उल्लंघन करने वालों को पुलिस और सैनिकों द्वारा थप्पड़, चाबुक, लात और गोली मारा जाना, पानी की तेज़ धार छोड़ा जाना और लोगों को अपमानजनक मुद्राओं में रहने के लिए मजबूर किया जाना;[23]
- फिलीपींस में खाने की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने की धमकी।[24]

जहां कोविड-19 सम्बन्धी अधिकारों का इस्तेमाल वैध राजनीतिक विरोध और राजनीतिक आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया गया है:

- लेबनान,[25] अल्जीरिया,[26] भारत,[27] हांगकांग,[28] और चिल[29] में सरकार-विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया जाना और कुछ मामलों में बल के अत्यधिक उपयोग के आरोप;
- युगांडा में लोक व्यवस्था प्रबंधन कानून का राजनीतिक स्वतंत्रताों पर पाबंदियाँ लगाने के लिए इस्तेमाल;[30]
- "फ़ेक न्यूज़ विरोधी" कानून का, गलत सूचनाओं से लड़ने की आड़ में, महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की आलोचना कर रहे समूहों की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल - प्रमुख उदाहरणों में थाईलैंड,[31] इंडोनीशिया[32] और मोरक्को[33] और हंगरी[34] शामिल हैं;
- इसराइल[35] और रोमेनिया[36] के राजनीतिक नेताओं द्वारा पुराने राजनीतिक दुराचार के लिए जवाबदेही से बचने की कोशिश;
- सार्वजनिक रूप से प्रसारित जानकारी को चुनौती दिए जाने पर जॉर्डन[37] मिस्र[38] और चीन[39] में प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी ।

कोविड-19 के बहाने राष्ट्रों द्वारा अपनी सत्ता मजबूत करने या मौजूदा पक्षपाती मकसदों को पूरा करने की कोशिश के उदाहरण:

- अमेरिका द्वारा कोविड-19 संबंधी ज़रूरतों की आड़ में प्रवासी-विरोधी मुहिम को तेज़ किया जाना,[40] प्रजनन से जुड़े अधिकारों पर उलटे कदम,[41] और सभी पर्यावरणीय नियमों को निलंबित करना;[42]
- हंगरी में कार्यकारी अधिकारों का हथियाना, जिसके तहत न्यायपालिका के अधिकारों और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए नागरिक समाज की क्षमता पर पाबंदियाँ लगायी गयी हैं;[43]
- कोलंबिया में, राज्य ने इस महामारी का इस्तेमाल, मानव अधिकारों के रक्षकों को दी गयी सुरक्षा वापस लेने के लिए किया है।[44]
- इंडोनेशिया में सरकार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है और कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अपनाये गए तरीकों की आलोचना करने वालों के ख़िलाफ़ दंडनीय कदम उठाये जा रहे हैं।->

4 कमजोर या हाशिये पर पड़े समूहों पर आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों का प्रभाव

4.1. कमजोर या हाशिये पर पड़े समूहों पर आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों का प्रभाव

Q46: आपातकालीन अधिकार और कदम किस तरह से कमजोर या हाशिए पर पड़े खास समुदायों को प्रभावित करते हैं?

Q47: क्या कोई कदम जैसे डिजिटल निगरानी से जुड़े कदम, पहले से ही हाशिए पर खड़े समूहों के खिलाफ भेदभाव में इज़ाफा करते हैं?

Q48: क्या आपातकाल के कदमों का लिंग या दूसरी किसी तरह की बराबरी पर होने वाले असर का आकलन किया गया है? क्या आपातकालीन कानून या नीति के तहत इस तरह के मूल्यांकन/जांच का कोई प्रावधान है?

Q49: क्या डॉक्टरी जांच के प्रावधान/वितरण या चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता में किन्हीं ख़ास समूहों/समुदायों के खिलाफ या उनके हक़ में भेदभाव का कोई सबूत है?

Q50: क्या राजकीय सहायता या सहयोग के प्रावधान/वितरण में किन्हीं ख़ास समूहों/समुदायों के खिलाफ या उनके हक़ में भेदभाव का कोई सबूत है?

Q51: क्या राजनेताओं या नीति बनाने वालों ने कोविड-19 के फ़ैलने के लिए किन्हीं ख़ास समूहों/समुदायों को दोषी ठहराया है?

विवरण: कमजोर/हाशिए वाले समूहों पर असर

4.2. इस महामारी से निपटने के लिए उठाये गए आपातकालीन कदमों के दौरान इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन क़ानूनों और नीतियों का हाशिए और कमजोर समूहों पर किस तरह से अलग और विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव हो सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम पहले से ही इन आपातकालीन कदमों के इस तरह के समूहों पर दूसरों से कहीं ज़्यादा होने वाले असर को देख सकते हैं।

4.3. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी एक देश में अपनाये गए और असरदार पाए गए कदमों को भिन्न आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों वाले दूसरे देशों में अपनाने पर, बहुत अलग प्रभाव हो सकते है। सामाजिक सहयोग और चिकित्सा संसाधनों को प्रभावित करने वाले महामारी से निपटने के लिए उठाये गए तरीके विशेष रूप से संवेदनशील होनी चाहिए - कोविड-19 के खिलाफ "लड़ाई" के तहत कुछ मकसदों या नीतियों को संसाधनों के मामले में

4.4. अंत में, राज्यों के द्वारा कुछ मानवाधिकार दायित्वों से "पीछे हटाने" के बावजूद, कुछ मौलिक मानवाधिकारों के दायित्वों से कभी भी पीछे नहीं हटा जा सकता है।[45] खासतौर पर, आपातकालीन कदमों को भेदभावपूर्ण तरीकों से लागू नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा उठाये गए कदमों के ज़रिये किसी भी ख़ास समुदाय के साथ भेदभाव (इच्छित या अन्यथा) नहीं होना चाहिए और/या उन्हें अतिरिक्त पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, खासकर तब जब वो पहले से ही विषमताओं का सामना कर रहे हों। सरकारों को कमजोर समूहों पर आपातकाल की स्थिति के प्रभाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें उनपर दूसरों से ज़्यादा होने वाले असर को कम करने के लिए ख़ास कदम भी शामिल हैं।

ख़ास तौर से कमजोर समुदायों के लिए जोखिमों के सामने आये उदाहरणों में शामिल हैं:

4.5. बेघर या बेहद ग़रीब आबादी

तालाबंदी से जुड़े कदम बेघर और ग़रीब लोगों पर बहुत हानिकारक असर डाल सकते हैं, और इन्हें संक्रमण का भी विशेष ख़तरा रहता हैं:

- बेघर आबादी के लिए व्यवस्था के पारंपरिक तरीकों पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, या उनका पालन कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी बनाने से जुड़े कदमों के चलते मुश्किल हो सकता है;[46]
- जो लोग नियमित आमदनी न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवा से वंचित हों (या सेवाएँ इस्तेमाल कर पाने की स्थिति में न हो), उन लोगों को दूसरों से ज़्यादा संक्रमण का ख़तरा है;[47]
- जहाँ, इन कारणों के चलते, बेघर लोगों में अन्य गंभीर रोगक्षमता को घटाने वाली बीमारियाँ (जैसे एचआईवी) ज़्यादा पायी जाती हैं, वहाँ अन्य ख़ास ख़तरे पैदा होते हैं।[48]

4.6. स्थायी प्रवास के दर्जे से वंचित व्यक्ति:

कोविड-19 से निपटने के लिए उठाये गए कदमों की वजह से प्रवासी आबादी को और ज़्यादा कष्ट हो सकता है, और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं:

- तालाबंदी के कारण प्रवासी मज़दूरों का बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है, जो प्रवासी मज़दूरों के लिए अतिरिक्त तनाव पैदा करता है, और साथ ही साथ तालाबंदी के कारण संक्रमण के फैलने के ख़तरे को बढ़ाता है;[49]
- यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत "प्रमुख मज़दूरों" की श्रेणी में शामिल नहीं किये जाने के कारण कई प्रवासियों को गृह कार्यालय के "शत्रुतापूर्ण वातावरण" के तहत राज्य की तरफ से मदद से वंचित रखा गया है;[50]
- लेबनान में स्वास्थ्य-सम्बन्धी जांच को ज़रूरी दस्तावेज़ीकरण के साथ जोड़े जाने के कारण प्रवासी मज़दूरों के लिए जांच की लागत निषेधात्मक रूप ले चुकी है;[51]
- यह उल्लेखनीय है कि, अगर तुलना की जाए तो, प्रवासी समुदायों को अत्यधिक तकलीफ़ देने वाले कदम अनिवार्य नहीं हैं, और अन्य विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि पुर्तगाल में उठाये गए कदम, जिनके तहत सभी प्रवासियों और शरणार्थियों को स्थायी निवासियों के सभी अधिकार दिए गए हैं, जिनके ज़रिये उन्हें स्वास्थ्य सेवा, राजकीय सहायता, बैंक खाते,[52]

4.7. कोविड-19 सम्बन्धी कदमों के लिंग-विशेष परिणाम हो सकते हैं:

- महिलाओं के सामाजिक देखभाल और नर्सिंग जैसे कामों में होने की ज़्यादा संभावना है - ऐसे काम जिनके लिए आम तौर पर कम वेतन दिया जाता है और संक्रमण का ज़्यादा ख़तरा होता है;[53]
- तालाबंदी और राष्ट्रीय संगरोध, देखभाल करने वाले और अकेले बच्चों की देखरेख करने वाले होने के नाते, महिलाओं पर अत्यधिक बोझ लाद सकते हैं;[54]
- तालाबंदी के दौरान, कई महिलाओं को हिंसक जोड़ीदारों के साथ घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोत्तरी होती है,[55] इसलिए भी क्योंकि साथ ही साथ महिलाओं के लिए उपलब्ध आश्रयों को भी सामाजिक दूरी के अनुरूप खुद को ढालना पड़ता है;[56]

- यौनकर्मी, जो ज़्यादातर महिलाएँ होती हैं, उनके द्वारा शोषण का सामना किये जाने की अधिक संभावना है क्योंकि वे और ज़्यादा जोखिम की स्थितियों की ओर धकेली जाती हैं,[57] और अन्य उद्योगों की तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को प्रभावित करने के लिए उनके पास प्रतिनिधित्व नहीं होता है।[58]

4.8. विकलांग समुदाय:

कोविड-19 के परिणामस्वरूप लगाए गए प्रतिबंधों और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में संसाधनों के पुनःआवंटन के कारण, हो सकता है कि सबसे कमजोर लोगों को मिलने वाली देखभाल का स्तर, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए ज़रूरी मानकों से नीचे गिर जाए:

- यूनाइटेड किंगडम के नई आपातकालीन अधिकारों के तहत मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए उपलब्ध सुरक्षा और सेवाओं को खत्म किया जा सकता है;[59]
- यूनान में कई विकलांग या जटिल स्वास्थ्य सम्बन्धी मुश्किलों से जूझ रहे शरणार्थी, सामाजिक दूरी का पालन करने की स्थिति में हैं;[60]
- यूनाइटेड किंगडम[61] और अमेरिका[62] में, विकलांग समुदायों पर कोरोनोवायरस के प्रभाव को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की आलोचना की गई है।

4.9. शरणार्थी और अत्यधिक मानवीय संकट वाले क्षेत्रों में फसे लोग:

अधिकारों के बीच की आपसी निर्भरता सबसे अधिक उन सन्दर्भों में देखी जा सकती है, जहां अत्यधिक कठिनाई और मौजूदा मानवीय संकट (भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी सहित) का सामना करने वाले लोग, कोविड-19 से पैदा होने वाले गंभीर खतरे में हैं, और उनकी मौजूदा विषमताएं उन्हें इन हालातों में खुद के बचाव के लिए कदम उठाने में असमर्थ बनाती हैं:

- कोरोनावायरस युद्ध-क्षेत्रों में फसे लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम पैदा करता है, जहाँ पहले से ही खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा का अभाव है, जैसे कि सीरिया,[63] यमन[64] और दक्षिण सूडान में;[65]
- पूरी दुनिया में स्थित, विस्थापित शरणार्थियों की आबादी ख़ास तौर पर खतरे में हैं क्योंकि वे मेजबान देशों की स्वस्थ्य व्यवस्था के बाहर हैं।[66]

4.10. हिरासत में रखे गए समुदाय

दुनिया भर में कैदियों और हिरासत में रखे गए लोगों को संक्रमण का वास्तविक ख़तरा है और हिरासत में होने के कारण उन्हें स्वास्थ्य-सम्बन्धी देखभाल और सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका में आईसीई केंद्रों में और साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम[67] के हिरासत केंद्रों में रखे गए आप्रवासन बंदियों को प्रशासनिक कारावास के कारण संक्रमण का ज़्यादा ख़तरा है;[68]
- कोरोनावायरस संक्रमण की आशंकाओं ने ईरान,[69] ब्राजील,[70] वेनेजुएला,[71] और इटली[72] सहित अन्य स्थानों की जेलों में दंगों को जन्म दिया है।

5 संदर्भ-विशिष्ट तरीकों का महत्व

5.1. कोविड-19 से निपटने के लिए उठाये गए कदमों के प्रभाव हर देश और क्षेत्र के लिए अलग अलग होंगे। जिन देशों में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों का है (जैसे कि भारत[73] और लातिन अमेरिका,[74] उनमें पड़ने वाला तालाबंदी का असर, यूरोपीय देशों के मुक़ाबलों काफी अलग होगा। तालाबंदी के कारण, हज़ारों प्रवासी मज़दूर, अपने परिवारों से बहुत दूर, खाड़ी के उस पार, अमानवीय और भीड़भाड़ वाले हालातों में फंसे हुए हैं।[75]

5.2. अनुपातहीन कदम सामाजिक सामंजस्य को धक्का पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकते है क्योंकि भविष्य में असंतोष को दबाने के लिए राज्यों को कठोर कदम उठाने की ज़रुरत पड़ सकती है। इसी तरह, अधिकारों पर पाबंदी लगाने वाली मौजूदा नीतियाँ - जैसे कि बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत और म्यांमार में लगायी गयी इंटरनेट बंदी और मंदी[76] - आवश्यक जानकारी और सेवाओं पर बंदिशों के ज़रिये, समुदायों की जूझने की शक्ति पर उलटा असर डालती हैं।

5.3. आगे चलते हुए, बारीक और स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल नीतियों की ज़रुरत है, जो साक्ष्य आधारित हों और जो समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बनायीं गयी हों, खासतौर पर उन समुदायों को जो सबसे कमजोर और हाशिए पर हों। यहाँ नागरिक समाज संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण है। नागरिक समाज संगठनों को उचित नीति के सृजन और समीक्षा में शामिल होना चाहिए, और इन कदमों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले कमजोर लोगों की पहचान करने और उनकी सहायता करने में सक्षम बने रहना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है कि, जब नागरिक समाज एक महत्वपूर्ण भागीदार की भूमिका निभा सकता है, तो इन स्थितियों में उस पर पाबंदियाँ न लगायी जाएँ। इसके अलावा, नागरिक समाज का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा हालातों से निपटने के लिए कार्यपालिका के हाथों में दिए गए व्यापक अधिकारों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके।

6 सुझाये गए वकालत के लक्ष्य

अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और घरेलू वकालत के लक्ष्यों की एक सूची नीचे दी गयी है। यह संपूर्ण सूची नहीं है बल्कि कुछ संस्थानों/निकायों/पदाधकारियों के उदाहरण हैं जिन्हें, प्रभावित देशों में नागरिक समाज संगठन और मानवाधिकार रक्षक अपनी वकालत का लक्ष्य बना सकते हैं। जाहिर है कि कोविड-19 एक वैश्विक मुद्दा है और नीचे सूचीबद्ध किए गए देशों के अलावा भी कुछ देश होंगे और कुछ ऐसे लक्ष्य भी होंगे जो छूट गए हैं, लेकिन जैसाकि पहले भी अंकित किया गया है, यह सिर्फ एक मार्गदर्शिका है, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए सहायक होगी।

यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों से संबंधित किसी मदद की ज़रुरत हो तो कृपया राइट्स एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल से संपर्क करें: covid19@rightsandsecurity.org

International

UN Treaty Bodies Complaints Procedures

To address a complaint to a Committee[1], this procedure should be followed and at this address.

Committees which can receive direct individual complaints:
Committee against Torture (CAT);[2]
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW);[3]
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD);[4]
Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD);[5]
Committee on the Rights of the Child (UNCROC);[6]
Human Rights Committee (ICCPR);[7]

UN Special Procedures of the Human Rights Council with Thematic Focus

Special Rapporteurs:

Special Rapporteur on the adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living:
Leilani Farha: srhousing@ohchr.org;
Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerances:
Tendayi Achiume: racism@ohchr.org;
Special Rapporteur on extreme poverty and human rights:
Philip Alston: srextremepoverty@ohchr.org;
Special Rapporteur on freedom of religion or belief:
Ahmed Shaheed: freedomofreligion@ohchr.org;
Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation:
Léo Heller: srwatsan@ohchr.org;
Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons:
Cecilia Jimenez Damary: idp@ohchr.org;
Special Rapporteur on the human rights of migrants:
Felipe Gonzáles Morales: migrant@ohchr.org;
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers:
Diego García-Sayán: RindependenceJL@ohchr.org;
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression:
David Kaye: freedex@ohchr.org;
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health:
David R. Boyd: ieenvironment@ohchr.org;

Special Rapporteur on the right to food:
Hilal Elver: srfood@ohchr.org;
Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples:
Victoria Lucia Tauli-Corpuz: indigenous@ohchr.org;
Special Rapporteur of the rights to freedom of peaceful assembly and association:
Clement Nyaletsossi Voule: freeassembly@ohchr.org;
Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities:
Catalina Devandas Aguilar: sr.disability@ohchr.org;
Special Rapporteur on torture and other form cruel, inhuman or degrading treatment of punishment:
Nils Melzer: sr-torture@ohchr.org;
Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences:
Dubravka Šimonovic: vaw@ohchr.org

Independent Experts:

Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons (Rosa Kornfeld-Matte: olderpersons@ohchr.orh);

Working Groups:

Working Group on arbitrary detention: accepts individual complaints as to issues related to arbitrary detention (see Draft Basic Principles and Guidelines of the Working Group here) (Model questionnaire to be sent to: gad@ohchr.org);
Working Group on discrimination against women and girls (wgdiscriminationwomen@ohchr.org)

Global Alliance of National Human Rights Institutions

Regional

African Commission on Human and Peoples' Rights: (Special Rapporteurs, Working Groups, Advisory Committees)
Contact: achpr@achpr.org
Special Rapporteur on prisons, conditions of detention and policing in Africa
Special Rapporteur on rights of women
Special Rapporteur on Freedom of Expression and access to information
Special Rapporteur on refugees, asylum seekers, internally displaced persons and migrants in Africa
Working Group on rights of older people and people with disabilities
Arab Human Rights Committee
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (public@asean.org)
ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women (ACWC) (public@asean.org)
European Court of Human Rights (application instructions)
Inter-American Court of Human Rights (information on how to file a petition (English/Espagnol/Portugués))
Organization of Islamic Countries Independent Permanent Human Rights Commissions
South Asian Association for Regional Cooperation, Human Rights Foundation: http://saarchumanrights.org/contact-us/

National

Algeria

Conseil National des Droits de l'Homme

Bahrain

National Institution for Human Rights

Bangladesh

Bangladesh Human Rights Commission

Comores

Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés

Djibouti

Commission Nationale des Droits de l'Homme

Egypt

National Council for Human Rights

El Salvador

National Human Rights Commission

Ethiopia

Ethiopian Human Rights Commission

Honduras

Human Rights Commission

Hungary

Hungarian Helsinki Committee

Office of the Commissioner for Fundamental Rights

India

National Human Rights Commission

Iraq

Independent High Commission for Human Rights

Jordan

National Centre for Human Rights

Kenya

Kenya Human Rights Commission

Kuwait

National Council for Human Rights

Lebanon

The National Human Rights Commission

Libya

Libyan National Council for Civil Liberties and Human Rights

Mauritania

Commission Nationale des Droits de l'Homme

Morocco

Conseil national des droits de l'Homme

Myanmar

Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC)

UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar: Yanghee Lee: sr-myanmar@ohchr.org

Nepal

National Human Rights Commission

Indonesia

National Human Rights Commission

National Commission on Anti Violence against Women

National Ombudsman

National Parliament

Oman

Oman Human Rights Commission

Pakistan

Federal Ombudsman

National Commission for Human Rights

Palestine

The Independent Commission for Human Rights
UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territories occupied since 1967:
Stanley Michael Lynk: sropt@ohchr.org
B'tselem, The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories

Philippines

Commission of Human Rights of the Philippines
Ombudsman of the Philippines
Philippine Commission on Women
Senate Committee on Justice and Human Rights
House of Representatives Committee on Human Rights

Qatar

National Human Rights Committee

Regional government of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM)

Regional Human Rights Commission

Saudi Arabia

National Society for Human Rights
Saudi Human Rights Commission

Sudan

The National Human Rights Commission

Syrian Arab Republic

Syrian Human Rights Committee
UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic:
Aristidi Nononsi: iesudan@ohchr.org

Thailand

National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT)
National Ombudsman

Timor Leste

Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) of Timor Leste

Tunisia

Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

United Kingdom

Equality and Human Rights Commission
Parliamentary and Health Service Ombudsman

Joint Select Committee on Human Rights

-

फुटनोट

1. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
2. यह खासतौर पर उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहाँ संविधान के माध्यम से अधिकार दिए गए हों, और आपातकाल लागू करने के लिए संवैधानिक नियमों के बजाय इन अधिकारों पर पाबंदियाँ लगाने के लिए साधारण कानून का इस्तेमाल किया जाए।
3. आतंकवाद का मुकाबला करने के संदर्भ में आपातकालीन स्थितियों में मानवाधिकारों से जुड़ी चुनौतियों के लिए [15] पर उल्लेखित A/HRC/37/52 आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण पर विशेष प्रवर्तक की रिपोर्ट देखें। उदाहरण के तौर पर, भारतीय संविधान में भी आपातकाल घोषित करने और उसके दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रावधान हैं; लेकिन सरकार ने इसके बजाय महामारी से निपटने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का इस्तेमाल किया है।
4. उदाहरण के लिए देखें International Covenant on Civil and Political Rights, art 4; European Convention on Human Rights, art 15; American Convention on Human Rights, art 27; Arab Charter on Human Rights, art 4.
5. उदाहरण के लिए देखें, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights of (1984) जिस में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए मार्गदर्शन प्रदान, जिसमें इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है कि जहाँ वास्तव में अल्पीकरण किया जा चुका है (जैसे कि घरेलू कानून में), वहां यह प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर भी अल्पीकरण किया जाना चाहिए।
6. उदाहरण के लिए देखें, अब तक आठ ईसीएचआर देशों ने महामारी के जवाब में अनुच्छेद 15 के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित की है। ये हैं अल्बानिया, आर्मेनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, लाटविया, माल्डोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमेनिया हैं।
7. उदाहरण के लिए देखें, यूके कोरोनावायरस अधिनियम की समय-सीमा दो साल होने के बावजूद, छह महीने के भीतर सभी कदमों की अनिवार्य रूप से समीक्षा किये जीन का प्रावधान दिया गया ही https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/19/the-guardian-view-on-the-coronavirus-bill-strengthen-the-sunset-clause; फ्रांसीसी कानून (2 महीने की समीक्षा) में समान प्रावधान: http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-government-adopts-law-declaring-and-defining-a-state-of-health-emergency/; और जर्मनी में सामान प्रावधान, संघीय और राज्य स्तर: https://www.wsj.com/articles/germany-readies-emergency-budget-to-shield-economy-from-coronavirus-fallout-11584894181 and https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-16-20-intl-hnk/h_6dc565297dae326d424f5a2f13618aeb.
8. उदाहरण के लिए देखें स्विट्जरलैंड में उठाये गए कदम: https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/world/europe/26reuters-health-coronavirus-swiss-data.html; इजरायल, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया: https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-surveillance-used-by-governments-to-fight-pandemic-privacy-concerns.html.
9. https://www.icj.org/covid-19-use-of-digital-surveillance-technologies-must-be-human-rights-compliant/
10. उदाहरण के लिए देखें, पुलिस की ताकत को नियंत्रित करने की आवश्यकता के लिए यूनाइटेड किंगडम में तालाबंदी के क़ानूनों के प्रावधान https://www.bbc.co.uk/news/uk-52101040.
11. कानून लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा बल के इस्तेमाल के संदर्भ में इन सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या के लिए देखें https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf
12. Ibid.
13. उदाहरण के लिए https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
14. Ibid, 7.
15. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-military/hungary-to-deploy-military-personnel-to-140-state-companies-during-pandemic-idUSKBN2161C8
16. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
17. https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-4-work-pass-holders-repatriated-and-6-employers-suspended-from-work-pass
18. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/south-africa-police-rubber-bullets-shoppers-covid-19-lockdown
19. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/kenya-police-fire-excessive-force-curfew-begins-200328101357933.html
20. https://www.the-star.co.ke/news/2020-03-31-boy-13-shot-dead-in-third-curfew-tragedy-police-blamed/
21. https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-india-lockdown-what-is-being-sprayed-on-migrants-is-it-safe-6339277/
22. https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronavirus-lockdown-controls-raise-fears-for-worlds-poorest?CMP=Share_iOSApp_Other
23. https://issafrica.org/iss-today/state-abuses-could-match-the-threat-of-covid-19-itself
24. https://www.aljazeera.com/news/2020/04/dead-duterte-warns-violating-lockdown-200401164531160.html
25. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/lebanon-protests-coronavirus-support-poor-economy.html
26. https://www.france24.com/en/20200318-anti-government-protests-thwarted-as-algeria-bans-street-marches-over-coronavirus
27. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southasia-protest/indian-police-clear-out-anti-government-protest-citing-coronavirus-idUSKBN21B0FW
28. https://www.scmp.com/video/hong-kong/3064579/coronavirus-hong-kong-anti-government-protests-and-violent-clashes-return
29. https://www.aljazeera.com/blogs/americas/2020/04/outrage-chile-pinera-photo-quarantined-protest-site-200405044239014.html
30. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/coronavirus-uganda-used-to-lockdowns-poor-healthcare-but-we-are-terrified
31. https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-covid-19-clampdown-free-speech
32. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesian-police-intensify-crackdown-fake-news
33. https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-morocco/morocco-makes-a-dozen-arrests-over-coronavirus-fake-news-idUKKBN2162EA
34. https://verfassungsblog.de/orbans-emergency/. हंगेरि की कानून यह कहता है कि जनता के "सफल संरक्षण" में हस्तक्षेप - या जनता में घबड़ाहट या उत्तेजना पैदा करने वाले - झूठे या तोड़-मोड़ कर पेश किये गए तथ्यों का प्रसार करने वाले व्यक्ति को पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

35. https://www.euronews.com/2020/03/19/israel-is-no-longer-a-democracy-netanyahu-accused-of-exploiting-coronavirus-to-save-caree
36. https://www.dw.com/en/romanian-lawmakers-reinstate-pm-orban-amid-coronavirus-fears/a-52775071
37. https://www.canberratimes.com.au/story/6684315/virus-wary-jordan-bans-newspaper-printing/?cs=14232
38. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-challenging-coronavirus-count-200326163435427.html
39. https://www.theguardian.com/media/2020/mar/24/us-newspapers-appeal-to-china-not-to-expel-their-reporters
40. https://www.nytimes.com/2020/03/20/us/politics/trump-border-coronavirus.html
41. https://thehill.com/regulation/court-battles/490247-judge-blocks-texas-from-banning-abortion-as-part-of-coronavirus
42. https://www.amnesty.org.uk/press-releases/usa-trump-cynically-abusing-coronavirus-crisis-suspend-environmental-regulations
43. https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2020/03/26
44. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/colombia-medidas-contra-covid19-desatender-proteccion-personas-defensoras/
45. इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में जीवन के अधिकार की सुरक्षा और अत्याचार और क्रूर व्यवहार के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा शामिल है।
46. https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-homeless/coronavirus-weighs-on-strained-american-system-to-care-for-homeless-idUKKBN20Z1CH
47. https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries
48. https://news.sky.com/story/coronavirus-reaches-african-continent-and-threatens-to-overwhelm-it-11961070
49. https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/03/25/Coronavirus-Thailand-lockdown-pushes-60-000-migrant-workers-to-leave-Official; https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/asia/coronavirus-india-migrants.html
50. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/30/hostile-environment-covonavirus-crisis-britain-migrants
51. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented-struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html
52. https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html
53. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/low-paid-women-in-uk-at-high-risk-of-coronavirus-exposure
54. https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/feminism-womens-rights-coronavirus-covid19/608302/
55. https://www.france24.com/en/20200328-fears-of-domestic-violence-rise-as-millions-confined-over-virus
56. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-domestic-abuse-women-refuge-shelter-uk-a9424791.html
57. https://www.buzzfeednews.com/article/otilliasteadman/coronavirus-sex-workers
58. https://www.pinknews.co.uk/2020/03/27/sex-work-coronavirus-english-collective-prostitutes-decriminalisation-workers-rights-safety/
59. https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-52036355
60. https://time.com/5806577/coronavirus-refugees/
61. https://www.hrw.org/news/2020/03/26/uk-covid-19-law-puts-rights-people-disabilities-risk
62. https://thehill.com/policy/healthcare/489685-disabled-advocates-warn-coronavirus-stimulus-does-not-address-pandemics
63. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/war-torn-syria-braces-lockdown-virus-case-200323145356045.html
64. https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-yemen/weakened-by-war-and-hunger-yemen-braces-for-coronavirus-idUKKBN21530B
65. https://www.africanews.com/2020/03/27/coronavirus-south-sudan-covid19-outbreak-likely-impact-on-markets-and-food-security-in-south-sudan//
66. https://foreignpolicy.com/2020/03/27/coronavirus-refugee-health-pandemic-unhcr/
67. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-prisons-immigration-removal-centres-health-release-labour-a9403306.html
68. https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/29/detainees-coronavirus-us-immigration-ice
69. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/prison-riot-southern-iran-coronavirus-fears-200330110225199.html
70. https://metro.co.uk/2020/03/17/hundreds-inmates-escape-prison-coronavirus-riots-brazil-12410748/
71. https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/19/5e72c06f21efa09a6a8b462a.html
72. https://www.dw.com/en/coronavirus-sets-italian-prison-ablaze/a-52742593
73. https://www.nytimes.com/2020/03/25/opinion/india-coronavirus-lockdown.html
74. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/26/as-coronavirus-hits-latin-america-expect-serious-and-enduring-effects/
75. https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
76. https://www.hrw.org/news/2020/03/31/end-internet-shutdowns-manage-covid-19?fbclid=IwAR07CoT_We_HC9zNmx-opjq8Z2rZ-r6hMIfruczN6qzRNMEA69aL_V61YAxM

अनुबंध

आपातकालीन कानूनी प्रक्रियाएँ

Q1: क्या आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? क्या आपातकाल-संबंधित क़ानूनों, करवाई या नीतियों को प्रकाशित किया गया है और क्या वे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं?

Q2: राज्य के आपातकाल घोषित करने का कानूनी आधार क्या है? (संवैधानिक, वैधानिक, कार्यकारी निर्णय)

Q3: क्या आपातकाल की स्थिति को लागू करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या यह प्रक्रिया सार्वजनिक थी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

Q4: यदि आपातकाल घोषित करने के लिए कोई तय प्रक्रिया है, तो क्या इसका उपयोग किया गया है? या सिर्फ आपातकाल का "नाम" इस्तेमाल करते हुए, सामान्य क़ानूनों का इस्तेमाल किया गया है?

Q5: यदि मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं (विशेष रूप से संवैधानिक) के बजाय सामान्य क़ानूनों का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के बचाव में कोई कारण दिया गया है?

Q6: यदि सामान्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या उनके ज़रिये अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध वैध हैं?1

Q7: यदि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, तो क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि के तहत अपने दायित्वों से, जिस हद तक मुमकिन हो, छूट मांगी है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों की निरंतर निगरानी

Q8: क्या आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों को प्रकाशित किया गया है? क्या बनाये गए आपातकालीन क़ानूनों या अधिकारों पर लगातार निगरानी रखने के कोई तरीके तय किये गए हैं? क्या वे काफी हैं? क्या उनके ज़रिये नागरिक समाज और लोकतांत्रिक समीक्षा संभव हैं?

Q9: यदि निगरानी रखने का कोई तरीका नहीं हैं, तो उन्हें क्यों मुहैया नहीं कराया गया है? क्या दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं (ऑनलाइन माध्यम से)?

Q10: क्या इन क़ानूनों की कोई समय-सीमा है? क्या कानून में ही कोई प्रावधान है जो इसे एक निश्चित तारीख के बाद स्वतः निरस्त करता हो?

Q11: क्या आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? क्या अदालतों तक निरंतर पहुंच पाना मुमकिन है?

Q12: क्या निकट भविष्य में उचित समय-सीमा के अंदर इन कदमों की अंतरिम समीक्षा या संसदीय निरीक्षण का कोई प्रावधान है? क्या आपातकाल खत्म होने पर, सहमति से, कानून को हटाने का प्रावधान है?

मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कुछ आम कदम

व्यक्तियों को जबरन बद्ध करके रखने का अधिकार

Q13: यह अधिकार क्यों दिया गया है? इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, और किस सबूत के आधार पर?

Q14: क्या इसके सबूत हैं कि यह कदम क़ानूनन है, और परिस्थितियों को देखते हुए ज़रूरी है और उनके अनुपात में है?

Q15: क्या इस कदम को लागू करने के लिए इस्तेमाल की जा रही प्रक्रिया आवश्यक और अनुपात में है और क्या इसे गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है?

Q16: उपरोक्त से संबंधित, क्या इस अधिकार का उपयोग वैध रूप से किया जा रहा है, या इसके अत्यधिक और/या अत्याचारपूर्ण रूप से इस्तेमाल किये जाने का कोई सबूत है?

Q17: यह अधिकार किसके हाथों में है? इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा सकता है?

Q18: कब तक बद्ध करके रखने की अनुमति है? बद्ध करके रखे जाने के औचित्य (आगे संक्रमण के फैलने को रोकना) को ध्यान में रखते हुए,यह अवधि उचित है?

Q19: अगर जबरन बद्ध किये जाने या संगरोध को लागू किया जाता है, तो उनपर निर्भर और साथ में रहने वालों की देखभाल कैसे की जियेगी? जिन लोगों को जबरन बंदी बनाया जा रहा है, उनके बच्चों का क्या?

Q20: क्या इस अधिकार और इसके कार्यान्वयन को चुनौती दी जा सकती है, और कब? क्या न्यायिक और अन्य तरीके उपलब्ध हैं?

आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का अधिकार

Q21: आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंध कब तक लगे रहेंगे? क्या ऐसे कोई सबूत हैं जो इन प्रतिबंधों का समर्थन करते हों?

Q22: इन कदमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कितने व्यापक हैं? क्या विकल्पों पर विचार किया गया है?
क्या उचित समय पर इन प्रतिबंध में संशोधन का प्रावधान है?

Q23: यदि राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की गयी है, तो इन कदमों को लागू करने का अधिकार किसके पास है?

Q24: इस तालाबंदी को लागू करने के लिए उन्हें किस स्तर के अधिकार सौंपे गए हैं?उन अधिकारों पर क्या सीमाएँ और प्रतिबंध लगाए गए हैं?

Q25: क्या इन अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है?

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का अधिकार

Q26: जहां सभाओं पर रोक लगायी गयी हो, क्या वहां इसे न्यायपरक और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है? क्या ख़ास सभाओं को निशाना बनाये जाने का कोई सबूत है?

Q27: क्या इन नियमों के ज़रिये गलत जानकारी और मनगढ़ंत खबरों या अफ़वाहों के प्रसार पर रोक लगायी गयी है? इन्हें किस तरह लागू किया जाता है? किन मानकों के अनुसार यह तय किया जाता है कि कौन सी सूचना या खबर इन श्रेणियों में आती है, और क्या वे मानक सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं? क्या इन क़ानूनों के लागू किये जाने के उदाहरण सार्वजनिक किए गए हैं और क्या उनकी जाँच की जा सकती है?

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार

Q28: जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थगित किया गया है, उसके लिए क्या औचित्य और सबूत दिए गए हैं? क्या उचित समय-अवधि के बाद कोई दूसरी तारीख दी गई है? क्या उचित विकल्पों पर विचार किया गया है?

Q29: क्या संसद को निलंबित किया गया है, या उसकी बैठक को होने से रोका जा रहा है? कब तक और किन शर्तों के तहत?

निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले अधिकार

Q30: क्या महामारी के जवाब में अपनाये गये निगरानी और जानकारी संग्रह करने के तरीके/अधिकार कानूनी तौर पर जारी किये गए हैं और क्या वे ज़रूरी और उचित अनुपात में हैं? क्या वैध और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के आधार पर उन्हें मान्य ठहराया गया है और क्या वे उन ज़रूरतों के अनुपात में हैं?

Q31: क्या निगरानी और जानकारी संग्रह के तरीके समयबद्ध हैं?

Q32: व्यक्तिगत जानकारी या महामारी के संदर्भ में इकट्ठी की गयी सूचना के एकत्रीकरण, भण्डारण और साझा किये जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के कोई स्पष्ट तरीके हैं?

Q33: क्या सरकार अपनाये गए या भविष्य में अपनाये जाने वाले अन्य निगरानी और जानकारी संग्रह करने के तरीकों/अधिकारों के बारे में पारदर्शी रही है?

Q34: क्या निगरानी और जानकारी संग्रह करने के तरीकों/अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ कोविड-19 से निपटने के लिए ही किया जाता है? क्या वे जितना मुमकिन हो उतने सीमित हैं?

Q35: क्या निगरानी के अधिकार के इस्तेमाल और व्यक्तिगत जानकारी के एकत्रीकरण, उपयोग और भण्डारण पर निगरानी रखने की कोई व्यवस्था है?

Q36: क्या लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था है?

Q37: क्या निगरानी रखने की डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से हाशिए के, कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है?

Q38: क्या इस जानकारी को सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साझा किया जाता है? क्या ये समझौते क़ानून पर आधारित हैं, क्या वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, क्या वे समयबद्ध हैं और क्या इनपर नज़र रखे जाने का कोई तरीका है?

क़ानूनों और नीतियों को लागू करना

Q39: जहां राज्यों द्वारा नए अधिकारों का निर्माण किया गया है, क्या उन अधिकारों को स्पष्ट मार्गदर्शन के तहत लागू किया गया है? क्या यह मार्गदर्शन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं?

Q40: क्या इन अधिकारों के दुरुपयोग, या इनकी सीमा के उल्लंघन किये जाने के सबूत हैं? क्या अत्यधिक बल के उपयोग किये जाने, या जिन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए उन्हें निशाना बनाए जाने के सबूत हैं?

Q41: क्या इन अधिकारों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जा रहा है, और उन लोगों की गरिमा का ध्यान रखते हुए, जिनके खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या लोगों को नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए इन अधिकारों के इस्तेमाल किये जाने का कोई सबूत है?

Q42: क़ानूनों का उल्लंघन करने पर किस तरह के दंड तय किये गए हैं? क्या वह आपराधिक हैं या सिविल हैं? कितना जुर्माना तय किया गया है? क्या वह उचित हैं? क्या यह उल्लंघन के अनुपात में हैं?

Q43: जहां उल्लंघन के दंड में जुर्माना लगाया जा रहा है, क्या वह उल्लंघन के संदर्भ को ध्यान में रख कर लगाया जा रहा है? उदाहरण के तौर पर, ऐसे समुदाय जो सामाजिक-आर्थिक कारणों के चलते सामाजिक दूरी बनाने या खुद को अलग-थलग करने में असमर्थ हों, या ऐसे संदर्भों में तालाबंदी किया जाना जहां कई लोग एक साथ रहते हों।

Q44: क्या इन उल्लंघनों के लिए लोगों को पूर्णतः जिम्मेदार माना जाएगा या अपराधों के लिए दोष और/या मानसिक तत्वों को साबित करने की ज़रुरत होगी, ताकि उचित बचाव उपलब्ध हो सकें?

Q45: क्या आपातकालीन कदमों को लागू करने के लिए सैन्य बल की मदद ली जा रही है? और यदि हां, तो वे किन खास जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और क्या इसका नागरिक जीवन पर असर हो रहा है और कैसे?

कमजोर या हाशिये पर पड़े समूहों पर आपातकालीन क़ानूनों और नीतियों का प्रभाव

Q46: आपातकालीन अधिकार और कदम किस तरह से कमजोर या हाशिए पर पड़े खास समुदायों को प्रभावित करते हैं?

Q47: क्या कोई कदम जैसे डिजिटल निगरानी से जुड़े कदम, पहले से ही हाशिए पर खड़े समूहों के खिलाफ भेदभाव में इज़ाफा करते हैं?

Q48: क्या आपातकाल के कदमों का लिंग या दूसरी किसी तरह की बराबरी पर होने वाले असर का आकलन किया गया है? क्या आपातकालीन कानून या नीति के तहत इस तरह के मूल्यांकन/जांच का कोई प्रावधान है?

Q49: क्या डॉक्टरी जांच के प्रावधान/वितरण या चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता में किन्हीं ख़ास समूहों/समुदायों के खिलाफ या उनके हक़ में भेदभाव का कोई सबूत है?

Q50: क्या राजकीय सहायता या सहयोग के प्रावधान/वितरण में किन्हीं ख़ास समूहों/समुदायों के खिलाफ या उनके हक़ में भेदभाव का कोई सबूत है?

Q51: क्या राजनेताओं या नीति बनाने वालों ने कोविड-19 के फ़ैलाने के लिए किन्हीं ख़ास समूहों/समुदायों को दोषी ठहराया है?

हमारे बारे में अधिक जानने के लिए कृपया
www.rwuk.org या www.rightsandsecurity.org पर जाएँ
और ट्विटर पर @rightssecurity हमारे काम को फॉलो करें।

RIGHTS & SECURITY
INTERNATIONAL